अशासकीय पत्र स0–1/शा0/04/2020–1/09/2020 आवंटन (प्रथम)
लखनऊ दिनांक 30 जून, 2020 अनुदान सं0–14
तेरह अंकों का कोड–2515008000301

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर निदेशक(प्रशा0)
पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।

कृपया अपर मुख्य सचिव, पचायती राज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1594/33–3–2020–33/2020 दिनांक 29 जून, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 975200.00 लाख के सापेक्ष सामान्य बुनियादी अनुदान (अनटाइड फण्ड) की प्रथम किश्त की धनराशि **रू0 243800.00 लाख (रू0 चौबीस अरब अड़तीस करोड़ मात्र)** की अवमुक्त/स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है कि उ0प्र0 प्रदेश सरकार को धनराशि प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं को यथा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया जाये–

2. उत्तर प्रदेश को वर्ष–2020–21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रूपये 9752 करोड़ है, जिसमें बेसिक ग्राण्ट (अनटाईड) रूपये 4876 करोड़ है तथा बेसिक ग्राण्ट (टाईड) 4876 करोड़ है। बेसिक ग्रान्ट की दूसरी किश्त पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा पर प्रदेश को अवमुक्त होगी। बेसिक ग्राण्ट जो कुल एलोकेशन का 50 प्रतिशत है वह 02 किश्तों में अवमुक्त किया जाना है, जिसकी पहली किश्त वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–F-15(4)F.C.-XV/FCD/2020-25, दिनांक–17.06.2020 द्वारा रूपये 2438 करोड़ की अवमुक्त की गयी है। टाईड ग्राण्ट जो कुल आवंटन का 50 प्रतिशत है, उसकी धनराशि भी 02 किश्तों में अवमुक्त की जाएगी, जो पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं पेयजल व स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के असेस्मेंट तथा रिकमन्डेशन पर आधारित होगा। उपरोक्त के लिए निम्नलिखित विषय पर प्रदेश द्वारा की गयी उपलब्धि पर टाईड फण्ड की द्वितीय किश्त की अवमुक्ति पर विचार किया जायेगा :–

(i.) ग्रामीण निकायों द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति एवं इसे कायम रखना।

(ii.) पेयजल की आपूर्ति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा वाटर रिसाईकिलिंग।

(iii.) जी.पी.डी.पी. एवं 15 वें वित्त आयोग के उपभोग की स्थिति को वेबसाईट पर अपलोड करने।

(iv.) अन्य शर्त, जो जलशक्ति मंत्रालय द्वारा रखा जाना निश्चित किया जायेगा।

वर्ष 2021–22 के लिए अर्हता वित्तीय वर्ष 2020–21 में की गयी उपलब्धि की समीक्षा पर आधारित होगा। ग्रान्ट अनटाईड फण्ड को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निकाय द्वारा उपभोग किया जा सकता है, परन्तु इसका वेतन व स्थापना पर व्यय प्रतिबन्धित है।

टाईड ग्रान्ट का व्यय अनिवार्यतया निम्नलिखित आधारभूत सेवाओं पर किया जाना है :–

(A) Sanitation and maintenance of Open-Defecation Free (ODF) status

(B.) Supply of Drinking Water, Rain Water Harvesting and Water Recycling.

3. ग्रामीण निकाय उपरोक्त दोनों मदों (A,B) में टाइड ग्राण्ट का 50–50 प्रतिशत धनराशि ईयरमार्क एवं व्यय करेंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा एक मद में सेंचुरेशन का स्तर प्राप्त कर लिया गया है तो वह धनराशि दूसरे मद में कार्य के लिए व्यय की जा सकती है।

4. भारत सरकार के पत्र संख्या F-15(4)F.C.-XV/FCD/2020-25. दिनांक–17.06.2020 द्वारा बेसिक ग्राण्ट (अनटाईड) की पहली किश्त के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए 2483 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उपरोक्त पत्र में अंकित निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का आवंटन जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों के मध्य अद्यतन राज्य वित्त आयोग की शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों के आधार पर होना है।

5. वित्त संसाधन(वित्त आयोग) एवं केन्द्रीय अनुभाग के पत्र संख्या–F-15(4)F.C.-XV/FCD/2020-25, दिनांक 17.06.2020 के द्वारा यह संसूचित किया गया है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के मध्य निम्न आधारों पर किया जायेगा :–

(i.) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

(ii.) उपर्युक्तानुसार जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

(iii.) जिले में क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का क्षेत्र पंचायतों के मध्य बंटवारा 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या 2011 को भार देते हुए किया जायेगा।

(iv.) जिलें में ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध धनराशि का बंटवारा ग्राम पंचायतों के मध्य 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या 2011 को भार देते हुए किया जायेगा।

(v.) प्रदेश को प्राप्त सामान्य बुनियादी अनुदान (अनटाइड) की प्रथम किश्त की धनराशि 243800 लाख में उपर्युक्त मानकों के आधार पर विभिन्न स्तर की ग्रामीण निकायों के मध्य निम्नवत आवंटन बनता है :–

1. ग्राम पंचायत हेतु रू0 170660.00 लाख
2. क्षेत्र पंचायत हेतु रू0 36570.00 लाख
3. जिला पंचायत हेतु रू0 36570.00 लाख।

6. उपरोक्त मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों (58174) हेतु वर्ष 2020–21 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान का आवंटन जनपदवार संलग्नक–1 पर दिया गया है तथा ग्राम पंचायत वार विवरण वेबसाईट www.panchayatiraj.up.nic.in पर अपलोड किया गया है। क्षेत्र पंचायत (821) को अनुमन्य धनराशि संलग्नक–2 पर है तथा जिला पंचायतों (75) को अनुमन्य धनराशि संलग्नक–3 पर है।

7. पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत संयुक्त निर्देश दिनांक 10.06.2020 के अनुसार पंचायत भवन का निर्माण प्रथम वरीयता पर है। दूसरी प्राथमिकता ग्राम पंचायत में अवस्थित शासकीय भवनों व अवस्थापना सुविधाओं के मरम्मत व रखरखाव की है। उदाहरण के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सहकारिता भण्डारण बीज एवं फर्टिलाइजर विकय केन्द्र। यह वरीयता इसी वर्ष के लिए लागू है। इस कम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.06.2020 के अनुसार प्रदेश की 26318 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, जिन्हें 14वें वित्त आयोग की उपलब्ध धनराशि तथा 15वें वित्त आयोग की अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि से वरीयता पर पूर्ण करते हुए संतृप्त किया जाना है। ग्राम पंचायत भवन निर्माण में 50 प्रतिशत की धनराशि केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से लिया जाना है। अगली वरीयता स्वयं सहायता समूह व इससे संबंधित संस्थाओं के लिए कार्य स्थल/अवस्थापना सुविधाओं के विकास (अधिकतम लागत 15 लाख) विशेष कर उन पंचायत भवनों में जहां पंचायत भवन

अथवा इस तरह क सामुदायिक सरचनाए नहीं है। इस तरह स्थापित कम्युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी इवेंट्स के लिए उचित किराये के आधार पर भी देने की व्यवस्था की जा सकती है। यह संरचना मनरेगा से 15वें वित्त आयोग की धनराशि से कन्वर्जेश करते हुए निर्मित करायी जायेगी। इन कार्यों के लिए मनरेगा में वर्क आई.डी. जनरेट कराते हुए कार्यवाही की जाएगी।

8. पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही मेकर और चेकर व अप्रूवर द्वारा की जाएगी :–

क्र.सं.	ग्रामीण निकाय	मेकर	चेकर	अप्रूवर
1	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव	ग्राम पंचायत प्रधान	ए.डी.ओ. पंचायत
2.	क्षेत्र पंचायत	खण्ड विकास अधिकारी	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	मुख्य विकास अधिकारी
3.	जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष जिला पंचायत	निदेशक, पंचायती राज

यहॉ यह स्पष्ट किया जाना है कि पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था धनराशि के अन्तरण के लिए ही है। वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से धनराशि अंतरित की जानी चाहिए।

9. पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को ग्रामीण निकायों के विभिन्न स्तरों पर लागू करने का प्रयास एक लम्बे समय से चल रहा है, परन्तु कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयों की वजह से यह अभी भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इनमें मुख्य वजह यह है कि ग्रामीण निकायों के स्तर पर विभिन्न स्कीमों की धनराशि एक ही खाते में है। पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक स्कीम के लिए राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक पृथक बैंक खाता अनिवार्य है। चूँकि केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि पहली बार जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत को अंतरित की जा रही है। अतः स्वाभाविक तौर पर उनका नया खाता इस योजना के लिए खुलेगा, जो पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से राज्य स्तरीय खाते से लिंक होगा। ग्राम पंचायतों को भी पृथक् बैंक खाता 15वें वित्त आयोग की धनराशि के लिए खोलना है। उपरोक्त खाता उसी बैंक शाखा में होना चाहिए जिस बैंक शाखा में ग्राम निधि का खाता संचालित है और यह नया खाता राज्य स्तरीय पी.एफ.एम.एस. खाते के साथ मैप कर रजिस्टर किया जाना चाहिए। केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अगले 05 वर्ष तक लगभग 50000 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। अतः पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पृथक् बैंक खाता की व्यवस्था, जो पी.एफ.एम.एस. में मैप हो आवश्यक है। राज्य स्तर पर केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक मद की धनराशि की अनुमन्यता होने पर प्रशासनिक मद हेतु एक पृथक खाता कालांतर में खोला जाना चाहिए।

10. पी.एफ.एम.एस व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के स्तर पर लागू करने के लिए निदेशालय में तैनात निम्नलिखित कन्सल्टेंट जिम्मेदार होंगे:–

(i) अभिषेक श्रीवास्तव (मोबाईल संख्या–9554455554)

(ii) रितेश शर्मा (मोबाईल सख्या–8800690461)

जिला पंचायत स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करन क लिए श्री प्रवीण कुमार, उप निदेशक, पंचायत (मोबाईल सं0–9415151295) उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को लागू करने में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई के निराकरण के लिए सम्बन्धित कन्सल्टेंट से सम्पर्क किया जा सकता है। पंचायती राज निदेशालय स्तर पर इस शासनादेश में दिए गए निर्देशों व व्यवस्था को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था में यह आवश्यक है कि किसी अधिकारी, जो मेकर अथवा चेकर के रूप में कार्य कर रहा है, उसके स्थानान्तरण के उपरान्त जो भी प्राधिकारी अप्रूवर के रूप में नामित हैं उन्हें इस खाते को स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा संचालित न किया जा सके इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। सम्बन्धित स्थानान्तरित अधिकारी की भी यह जिम्मेदारी है कि स्थानान्तरण के उपरान्त इस व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित कर लिया जाये। ऐसा न करना वित्तीय अनियमितता विषयक व किमिनल ऐक्शन आमंत्रित करेगा। किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर योजनान्तर्गत सिंगल एकाउण्ट संचालित नहीं किया जायेगा।

11. उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो. उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

12. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0– 1021/दस/2018– मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

13. उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–14 के **लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03–15वें वित्त आयोग–0301–सामान्य बुनियादी अनुदान–20–सहायता(गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

14. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

15. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

16. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

17. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

18. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर योजना प्रभारी इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।

19. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

20. उपरोक्तानुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड फण्ड) की कुल धनराशि रू0 2438.00 करोड़ को निम्नानुसार संलग्न फाण्ट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है–

क0सं	पंचायती राज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि रू. में
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/–
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/–
3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	17,06,60,00,000/–
योग		24,38,00,00,000/–

3. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2020/बी–1/149/दस–2020–231/2019 दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवटन निदेशालय क आवटन पंजिका के पृष्ठ स0–78 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

सख्या–1/शा0/04/1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रधान महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलायुक्त।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. उप निदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, 15वां वित्त आयाग, पचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार आहरित धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के खातों में समयान्तर्गत हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
8. उप निदेशक(पं0), जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।
11. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज उ0प्र0।

All Letter

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-30/06/2020

प्रेषण संख्या:- 1-sha-04-2020-1-09-2020
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-09-2020
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
03 -
01 - पन्द्रहवे वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	24380000000 24380000000	24380000000 24380000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	24380000000 24380000000	24380000000 24380000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौबीस अरब अड़तीस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौबीस अरब अड़तीस करोड़

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी